सं0 सं0–14/डी0एल0ए0 (पावर सव स्टेशन )– पटना–100/2013– 1634 /रा0, पटना–15, दिनांक:– 21/06/2013

## बिहार सरकार

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

### (भू–अर्जन निदेशालय)

### अधिसूचना

पटना, तारीख :

सं0 .............................................................................................. रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–समेआ, थाना नं0–58, परगना–गयासपुर, थाना–मोकामा, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात घोसवरी अंचल अन्तर्गत पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–समेआ, थाना नं0–58, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 0.50 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–91 अंश है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है –

उत्तर : मौजा–88 अंश एवं मौजा मासुमेचक, थाना नं0–53 का सिमाना ।

पूरब : खेसरा सं0 89 पूर्ण एवं 90 अंश।

दक्षिण : खेसरा सं0–91 अंश।

पश्चिम : मौजा मासुमेचक, थाना नं0–53 का सिमाना ।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियंता कार्य प्रमण्डल सं०–01, पटना के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (पावर सब स्टेशन)– पटना–100/2013– 1634/रा0, पटना–15, दिनांक:–21/06/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचना प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

20/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

2